आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 122/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

27.7.24

दाता श्रीमति फुलबंती कुवॅर, पति–अलखदेव सिंह, ग्राम–रामपुर चाय, थाना–करपी, अंचल–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
111	2906	01 कठा	उतरव–बृज कोयरी दक्षिण–विदेशी कोयरी पूरब– विफन गोप पश्चिम–नीज

मौजा–रामपुर चाय, थाना नं०–183, थाना–करपी, अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से दाता को खास एवं आम नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। अंचल अधिकारी करपी के द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारक अवरेडी सिंह, पिता–विशुन सिंह, ग्राम–रामपुरचाय एवं चनवॉ देवी, पति–रामप्रवेश सिंह, ग्राम–मुड़ला बिगहा तथा कब्जाधारी जयराम सिंह, पिता–सुखाड़ी सिंह को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी करपी से जमाबंदीधारक का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ एवं जमाबंदीधारक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में आपति दर्ज किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी का जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर है। दान पत्र के माध्यम से भूदाता द्वारा दिनांक 16.03.1953 द्वारा वर्णित भूमि को दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि गजाधार कोईरी, पिता–गोरख कोईरी के नाम से खतीयान दर्ज है। दाता एवं खतियान धारक का कोई संबंध नहीं है। अवरेडी सिंह, पिता–विशुन सिंह, चनवॉ देवी, पति–राम प्रवेश सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है। जयराम सिंह, पिता–सुखाड़ी सिंह वर्तमान में दखल कब्जा है जो दाता के पोता है। प्रस्तावित भूमि रैयति खाते की है एवं किस्म धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ

खास, आम, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। चूँकि भूदाता के पोता वर्तमान में विषयगत भूमि पर कब्जाधारी है।

भूदान दान वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि भूमि वितरण जॉच आयोग वैसे दान पत्र जिसमें खाता सख्या, खेसरा संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है वैसे दान पत्रों की संपुष्टि की जायेगी।

इस प्रकार भूदाता श्री मती फलवन्ती कुँवर, पति–अलखदेव सिंह एवं जमाबंदीधारक अवरेडी सिंह, पिता–विशुन सिह, ग्राम–रामपुर चाय, चनवॉ देवी, पति–राम प्रवेश सिंह, ग्राम–मुडला विगहा तथा कब्जाधारी जय राम सिंह, पिता–सुखाड़ी सिंह, ग्राम–रामपुर चाय को खास एवं आम सूचना निर्गत किया गया किन्तु किसी व्यक्ति के द्वारा आपित दर्ज नही किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री जिला भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।